HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8428/2026
CNR: RJHC010604992026
URN: CRLMB / 18310U / 2026

Rajendra Singh S/o Madhusingh, Aged About 44 Years, Resident Of Sanwarada, Police Station Samdari, District Balotara, Rajasthan. (Presently Lodged At Balotra Jail)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Thourgh Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8429/2026
CNR: RJHC010602382026
URN: CRLMB / 18311U / 2026

Shivlal Alias Ishwarlal S/o Prabhu Ram, Aged About 28 Years, Resident Of Agwari, Police Station- Ahore District -Jalore . (Presently Lodged In District Jail Balotra)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. C.S. Rathore Ms. Khushboo Palasiya
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

09/07/2026

01. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से जमानत के पृथक–पृथक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना समदड़ी, जिला बालोतरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 237/2023, अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 379 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुए हैं।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त राजेन्द्र के द्वारा खनिज विभाग में फर्जी रॉयल्टी राशि मय जुर्माना जमा करवाने की रसीद प्रस्तुत कर वाहन सुपुर्दगी पर ले लिये जाने बाबत रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जो रिपोर्ट दिनांक 01.12.2023 को दर्ज करवाई गई थी। जो फर्जी कागजात बताए गए थे, उसके पश्चात दिनांक 11.09.2023 को पुनः

27250/– रूपये व 1 लाख रूपये की राशि जरिए चालान प्रार्थी–अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा जमा करवा दी गई। कोई जुर्माना राशि या रॉयल्टी राशि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते समय भी बकाया नहीं थी। प्रार्थी–अभियुक्त राजेन्द्र दिनांक 03.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है और प्रार्थी–अभियुक्त शिवलाल उर्फ ईश्वरलाल ई–मित्र संचालन का काम करता है, जिसके ई–मित्र से फर्जी चालान की प्रतियां तैयार होना पुलिस द्वारा माना गया था। अब इस मामले में राजेन्द्र सिंह द्वारा रकम जमा करवा दी गई है। ई–मित्र संचालक को कोई लाभ फर्जी दस्तावेज से नहीं हुआ है। आपराधिक षड़यंत्र में प्रार्थी–अभियुक्त को सम्मिलित माना गया था। प्रार्थी–अभियुक्त शिवलाल उर्फ ईश्वरलाल भी दिनांक 03.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा आने बाद नतीजा विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **राजेन्द्रसिंह पुत्र मादूसिंह व शिवलाल उर्फ ईश्वरलाल पुत्र प्रभुराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

27-28-/Mayank Rankawat/629